न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम् सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

जमानत आवेदन सं0–233/2026

जामो थाना कांड सं0–233/2025 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–309(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

मुकेश कुमार पंडित उर्फ मुकेश पंडित.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य., द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थित– श्री मनोज कुमार सिंह नं. 4, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

13.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त मुकेश कुमार पंडित उर्फ मुकेश पंडित की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन, जामो थाना कांड संख्या 233/2025, अंतर्गत धारा–309(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया। काराधीन आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन संचालित किया गया। काराधीन आवेदक/अभियुक्त मुकेश कुमार पंडित उर्फ मुकेश पंडित के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक काशीनाथ साह के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचक का पवन ज्वेलर्स एवं बर्तन भण्डार नाम का आभूषण एवं सोने–चॉदी का दुकान डुमरी बाजार पर है। सूचक दिनांक 10.06.2025 को सुबह 09:00 बजे अपना दुकान खोलकर अपने बेटे पवन कुमार के साथ बैठा हुआ था। तभी अचानक समय 12.20 बजे अपाची मोटरसाईकिल पर सवार तीन अपराधी दूकान में घुसकर एवं हथियार का भय दिखाकर 20–20 ग्राम के तीन ज्वेलरी कुल वजन 60 ग्राम लूट कर लेते गये। तीनों अपना चेहरा ढ़के हुए था, एक ने हेलमेट पहन रखा था। सभी का उम्र 19 वर्ष से 26 वर्ष था। सभी भागने लगे तभी दुकान में सूचक एवं उसके पुत्र पवन कुमार के साथ अपराधियों का हाथापाई भी हुआ। आसपास के दुकानदार आएं उसी समय पुलिस भी पहुॅच गयी तथा भागने के क्रम में उनमें से एक अपराधी को पकड़ा गया जिसने अपना नाम तौसिफ राजा बताया और दो अपराधी भागने में सफल हो गये।

काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त 09.12.2025 से कारा में है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2025 को यह आदेश देते हुए निष्पादित किया गया की आवेदक/अभियक्त आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात् जमानत आवेदन पुनः नवीकरण कर सकते है। है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त को ग्रामीण राजनीति झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त स्वच्छ छवि का व्यक्ति है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया है कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त का नाम सह अभियुक्त के संस्वीकृति बयान के आधार पर आया है। काराधीन

लगातार

13.03.2026

आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया है कि अभियोजन कथानक झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः जमानत आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन विरोध किया गया और कथन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध सूचक के ज्वेलरी दुकान से सोना–चॉदी का आभूषण लूटने का गंभीर अभियोग है। अतः जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, जामो थाना कांड संख्या 233/2025, अंतर्गत धारा–309(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत काराधीन आवेदक/अभियुक्त के द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के सोना–चॉदी दुकान से 60 ग्राम वजन का सोना–चॉदी लूटने के लिए संस्थित किया गया है। अभिलेख एवं कांड दैनिकी से स्पष्ट है कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है बल्कि इसका नाम सह अभियुक्त सचिन कुमार के दोष–स्वीकृति बयान के आधार पर आया है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल आवेदक अभियुक्त का होना पाते हुए तथा लूट का सामान काराधीन आवेदक/अभियुक्त के पास छिपाने के रूप में इस कांड में संलिप्त होने के रूप में आया है। कांड दैनिकी की कंडिका 63 के अनुसार सह अभियुक्त सचिन कुमार के करकटनुमा घर से दो सोने जैसा अॅगूठी बरामद हुआ है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से पूर्व में दाखिल जमानत आवेदन सं. 1420/2025 को इस न्यायालय द्वारा मामले में अनुसंधान जारी रहने के कारण इस सम्प्रेक्षण के साथ अस्वीकृत किया गया था कि मामले में आरोप पत्र समर्पित होने पर काराधीन आवेदक/अभियुक्त जमानत का नवीकरण कर सकता है। विचारण न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मामले में काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित हो चुका है तथा आरोप का भी गठन हो चुका है। काराधीन आवेदक/ अभियुक्त दिनांक 09.12.2025 से कारा में है।

अतः उक्त सभी तथ्यों, परिस्थितियों एवं काराधीन आवेदक/अभियुक्त मुकेश कुमार पंडित उर्फ मुकेश पंडित के द्वारा कारा में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार विद्वान विचारण न्यायालय, सिवान के संतुष्टियोग्य मो. 20,000/–(बीस हजार) रूपये के समान राशि वाले दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त, अनुसंधान/विचारण में सहयोग करेंगे। बंधपत्र दाखिल किये जाने समय काराधीन आवेदक/अभियुक्त एवं प्रतिभूगण का मोबाईल नम्बर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं प्रतिभूगण के द्वारा भी धारा 486 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित घोषणा पत्र के तहत सभी सुसंगत विशिष्टियॉ दी जायेगी।

लेखापित

ह0/–

(सुशील कुमार त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सिवान।